भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4969
दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

पीएम-पोषण

4969. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:
डॉ. राजश्री मल्लिक:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीएम-पोषण(2021) के तहत, केंद्र प्रायोजित योजना में देश के 11.2 लाख विद्यार्थियों के 11.8 करोड़ बच्चों को शामिल करने की संभावना है ताकि बच्चों को आवश्यक पोषण मिल सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 2020-21 में 12.88 हजार करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय की तुलना में 2021-22 में संशोधित अनुमान को घटाकर 10.23 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है और 2022-23 के लिए भी इसे इतना ही रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो मध्याह्न भोजन और आईसीडीएस की विभिन्न योजनाओं हेतु किए गए बजट अनुमान द्वारा, पौष्टिक भोजन से वंचित आबादी के हाशिए पर पड़े वर्गों के बच्चों के लिए योजना को जारी रखने की चुनौती को दूर करने हेतु उक्त उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त करने का विचार है;

(घ) सरकार द्वारा पोषण अभियान के तहत बौनापन, अपव्यय रोग संबंधी विकार और रक्ताल्पता को कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ड.) हाल के दिनों में देश में गरीबी और भूख के बिगड़ते स्तर के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से पोषाहार लक्ष्यों को प्रापत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों में एक गरम पका भोजन प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)' को मंजूरी प्रदान की है। यह स्कीम शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत 11.20 लाख स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में पढ़ रहे 11.80 करोड़ बच्चों के अलावा प्राथमिक स्कूलों में प्री-स्कूल या बाल वाटिका (कक्षा 1 से पहले) के बच्चों को भी गरम पका भोजन प्रदान करने का प्रावधान है। यह स्कीम जेंडर या सामाजिक श्रेणी के आधार पर किसी भेदभाव के बगैर सभी पात्र बच्चों को शामिल करते हुए पूरे देश में चलाई जा रही है। पीएम पोषण स्कीम (पूर्व में इसका नाम मध्याह्न भोजन स्कीम था) का मुख्य उद्देश्य सरकारी और सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों के पात्र बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके भारत में अधिकांश बच्चों की दो अत्यावश्यक समस्याओं अर्थात मुखमरी और शिक्षा की समस्या को दूर करना तथा वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को अधिक नियमित ढंग से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा पठन-पाठन की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में उनकी मदद करना है। स्कीम के तहत पोषण और भोजन के मानदंड इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	**मद**	**प्राथमिक**	**उच्च प्राथमिक**
क. प्रति बच्चा प्रतिदिन पोषण मानदंड			
1.	कैलोरी	450	700
2.	प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
ख. प्रति बच्चा प्रतिदिन भोजन मानदंड			

1.	खाद्यान्न	100 ग्राम	150 ग्राम
2.	दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
3.	सब्जियां	50 ग्राम	75 ग्राम
4.	तेल व वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5.	नमक और मसाले	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

2021-22 के लिए बजट अनुमान 11500 करोड़ रुपये है, तथापि व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा मूल्यांकित और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित परिव्यय के अनुसार संशोधित अनुमान को घटाकर 10233.75 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऐसी संभावना है कि मौजूदा मानदंडों के अनुसार यह पर्याप्त होगा क्योंकि प्रगामी रूप से स्कूल फिर से खुल रहे हैं। तदनुसार 2022-23 के लिए बजट अनुमान के रूप में इसका प्रस्ताव किया गया है।

(घ) : सरकार ने देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए 08 मार्च, 2018 को पोषण अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण स्कीम) शुरू किया गया। पोषण अभियान का लक्ष्य निम्नलिखित निर्धारित लक्ष्यों के साथ समयबद्ध ढंग से 0-6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना है :

क्र.सं.	**उद्देश्य**	**लक्ष्य**
1.	बच्चों (0-6 वर्ष) में ठिगनेपन को रोकना और कम करना	2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से
2.	बच्चों (0-6 वर्ष) में अल्पपोषण (अल्पवजन) को रोकना और कम करना	2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से
3.	छोटे बच्चों (6-59 माह) में रक्ताल्पता की दर को कम करना	3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से
4.	15-49 वर्ष के आयुवर्ग की महिलाओं और किशोरियों में रक्ताल्पता की दर को कम करना	3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से
5.	जन्म के समय कम वजन (एलबीडबल्यू) को कम करना	2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से

इस अभियान का उद्देश्य तालमेल युक्त और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर पूरे जीवनचक्र में चरणबद्ध ढंग से देश में कुपोषण को कम करना है।

(ङ.) : संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट (2020) "बहुआयामी गरीबी को दूर करने के लिए उपाय तैयार करना: एसडीजी प्राप्त करना" के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी की दर 2005 में 55.1 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 27.9 प्रतिशत हो गई है।

(च) : सरकार ने कुपोषण की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी है तथा इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। सरकार पूरे देश में 6 साल से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं तथा किशोरियों के लिए लक्षित उपाय के रूप में अंब्रेला समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के तहत आंगनवाड़ी सेवा स्कीम, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और किशोरियों के लिए स्कीम चला रही है। पोषण अभियान का उद्देश्य तालमेल युक्त और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर पूरे जीवनचक्र में चरणबद्ध ढंग से

कुपोषण को कम करना है। ये सभी स्कीमें पोषण से संबंधित किसी न किसी पहलू पर ध्यान देती हैं और इनमें देश में पोषण के परिणामों में सुधार करने की क्षमता है।

इसके अलावा मिशन पोषण 2.0 जो एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बजट 2021-22 में घोषित किया गया है। यह स्वास्थ्य, आरोग्यता और बीमारी एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के विकास पर बल देते हुए पोषण सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणामों को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में पोषण सामग्री की जांच और गुणवत्ता में सुधार, वितरण को सुदृढ़ करने तथा शासन में सुधार के लिए पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कदम उठाए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुपोषण तथा संबद्ध बीमारियों की रोकथाम के लिए आयुष की पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। पोषण की प्रथाओं में परंपरागत ज्ञान का उपयोग करके आहार विविधता अंतराल को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं के विकास में मदद का एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तथा पोषण के परिणामों की खोज-खबर लेने के लिए 13.01.2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए।

*****